

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2021/3822

दिनांक 21/2/2021

### // कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक दिनांक 21.02.2021 के विषय क्रमांक-07 पर लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपयें 1000/- के स्थान पर रूपयें 2000/- (प्रतिमाह) देय होगा।


उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. अवासीय सहायक संचालक संपरीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/अध्ययनशालाएँ, जीविवि, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलाधिसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. प्रभारी वेतन शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संबंधित पत्रावली हेतु।

  
उप-कुलसचिव (प्रशासन)